शीर्ष प्राथमिकता/अति महत्वपूर्ण

पत्र संख्या-2/2017/37/30-4-2017

प्रेषक,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक: 10 जनवरी, 2017

विषय: सरकारी वाहनों में सीट-बेल्ट के उपयोग के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अंतर्गत गठित "कोष प्रबंधन समिति" की बैठक दिनांक 27.12.2016 में चर्चा के दौरान यह बिंदु संज्ञान में आया कि सरकारी वाहनों के चालक एवं उसके बगल में बैठने वाले व्यक्ति द्वारा सीट-बेल्ट का उपयोग सामान्यतया नहीं किया जा रहा है।

2- उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 125 में किये गये प्राविधान के अनुसार चार पहिया वाहन के चालक एवं उसके बगल में बैठने वाले व्यक्ति के लिए वाहन चलाते समय सीट-बेल्ट का उपयोग करना अनिवार्य है, चाहे वह सरकारी/निजी वाहन/कामर्शियल वाहन ही क्यों न हो।

3- आप अवगत ही हैं कि सड़क दुर्घटना में प्रतिवर्ष पूरे भारतवर्ष में एक लाख से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है तथा इससे अधिक व्यक्ति प्रतिवर्ष घायल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश मे सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति और भी भयावह है तथा विगत वर्षों में सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होती होती जा रही है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 की अपेक्षा वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों की संख्या में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि प्रतिशत 4 से 5 प्रतिशत है।

4- उक्त से स्पष्ट है कि सड़क दुर्घटनाओं की विभीषिका को रोकना/कम करना हम सभी के लिए एक चुनौती है और इसमें न केवल परिवहन विभाग/पुलिस विभाग, बल्कि समस्त सरकारी विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों की समुचित सहभागिता/नियमों के अनुपालन की आवश्यकता है।

5- भारत सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रकाशित की गई पुस्तिका के 6वें संस्करण वर्ष 2016 में उल्लिखित है कि वाहन चलाते समय सीट-बेल्ट के प्रयोग से दुर्घटना के समय गाड़ी में बैठे यात्रियों की मृत्यु की संभावना 50 प्रतिशत तक कम हो जाती है। इसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि सभी सरकारी वाहन के चालक एवं चालक के बगल में बैठने वाले व्यक्ति द्वारा सीट-बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाया जाना सुनिश्चित किया जाये, ताकि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

एक ओर केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 125 में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन हो और दूसरी ओर सड़क सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके।

6- अत- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव अपने स्तर से अपने-अपने विभागों के अधीनस्थ अधिकारियों को उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु यथावश्यक निर्देश प्रसारित करना सुनिश्चित करें। प्रसारित किये जाने वाले निर्देश में यह भी उल्लिखित किया जाये कि यदि संबंधित अधिकारियों द्वारा उपरोक्तानुसार अनुपालन नहीं किया/कराया जाता तो उसके नियंत्रक अधिकारी के विरूद्ध विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देने पर विचार किया जा सकता है।

7- कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

ह0/-

(राहुल भटनागर)

मुख्य सचिव,उ0प्र0।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।